संगलक-1

संख्या-67/38-3-200'-500॥1॥/98॥टी.सी.-1॥

प्रेषक,

रमेन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक :: 27 फरवरी, 2001

विषय :- विधान मण्डल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य कराने हेतु स्थापित विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर-1.2 में उल्लिखित धनराशि रू0 50.00लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर रू0 75.00 लाख प्रतिवर्ष करने हेतु संशोधन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि विधायक निधि की धनराशि रू0 50.00 लाख प्रतिवर्ष प्रति विधायक क्षेत्र को बढ़ाकर रू0 75.00लाख प्रतिवर्ष प्रति विधायक क्षेत्र कर दिया जाय ।

2- अतः विधायक निधि के संचालन हेतु शासनादेश संख्या-4560॥1॥/38-3-98-300 ॥1॥/98, दिनांक 22 दिसम्बर, 1998 को जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर-1.2 में निम्नवत संशोधन किया जाता है :-

"इस योजना के अन्तर्गत विधान मण्डल के दोनो सदनों के माननीय सदस्यगण सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष रूपया 75.00लाख की धनराशि तक विकास कार्य कराये जाने का प्रस्ताव देंगें ।

3- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त एवं समय-समय पर इस निमित्त जारी शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेगें ।

भवदीय,

॥ रमेन्द्र त्रिपाठी ॥
विशेष सचिव।

.....2/.

संख्या-671॥/38-3-2001, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, नियोजन उत्तर प्रदेश शासन ।
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र० ।
7- विधान मण्डल के दोनो सदनों के माननीय सदस्य गण ।
8- निजी सचिव, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री/मा० ग्राम्य विकास राज्य मंत्री ।
9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

॥ रमेन्द्र त्रिपाठी ॥
विशेष सचिव।